संख्या-713/18-2-2013-67(ल.उ.)/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग उ0प्र0, कानपुर।

2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 **लखनऊःदिनांकः 21 मई,2013**

विषयः- प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आपूर्तित सामग्री के सापेक्ष लंबित देयकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का देश के साथ-साथ प्रदेश के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा निर्मित सामग्री से जहॉ एक ओर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों से बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होता है। शासन के संज्ञान में आया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आपूर्तित सामग्री के सापेक्ष देयकों का भुगतान या तो समय से नहीं किया जाता या किन्हीं कारणोंवश रोक लिया जाता है, जिससे इन उद्योगों के विकास में बाधा आती है और रोजगार सृजन पर भी प्रभाव पड़ता है।

2- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के चैप्टर-V के धारा-15 से लेकर 23 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा आपूर्तित सामान का समय से भुगतान कराने एवं भुगतान न करने की दशा में कार्यवाही की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम की धारा-22 में यह भी प्राविधान है कि क्रेता द्वारा अपने वार्षिक आडिट लेखे में वर्ष में सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को भुगतान की गयी मूल धनराशि एवं ब्याज की धनराशि तथा ऐसी बकाया मूल धनराशि एवं देय बकाया ब्याज की धनराशि के विवरण का अवश्य उल्लेख करेंगे।

3- उक्त लंबित देयकों के भुगतान हेतु विशेष केन्द्रीय अधिनियम *'सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-संख्या-27/2006'* के अन्तर्गत अन्य राज्यों की भॉति उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद स्थापित है, जो प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों पर चक्रवृद्वि ब्याज के भुगतान का विधिक आदेश दे सकती है। ऐसी परिस्थिति में शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ता है। इसलिये यह आवश्यक है कि क्रेता विभाग उक्त उद्यमों से माल/सेवा के क्रय का भुगतान अनुबन्ध की तिथि या 45 दिन जो भी पहले हो, करें।

4- अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आपूर्तित सामग्री के सापेक्ष देयकों का भुगतान उपरोक्तानुसार कराने एवं अधिनियम के चैप्टर-V में दिये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों / निगमों / प्राधिकरणों/परिषदों/उपक्रमों आदि को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2- उत्तर प्रदेश के समस्त निगमों/उपक्रमों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/प्राधिकरणों/परिषदों के प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21/5

(विजय कान्त दुबे)
विशेष सचिव।